सं.31011/4/2008-स्था. (क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

***

नई दिल्ली, दिनांकः 3 जून, 2009

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः- छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) के उद्देश्य से यात्रा पात्रता।

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) एवं सरकारी दौरो/स्थानांतरण पर यात्रा पात्रता एक समान रहेंगे लेकिन एल.टी.सी. पर यात्रा करने के लिए कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। तदनुसार, वित्त मंत्रालय ने 10 नवंबर, 2008 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 7(1)/ई-समन्वय/2008 के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि यात्रा के लिए उनकी पात्रता के बावजूद भी हवाई मार्ग से यात्रा करने के लिए उन पात्र एल.टी.सी. यात्राओं के मामले में केवल सबसे सस्ते इकॉनमी किराया टिकट की अनुमति होगी। दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यात्रा पात्रता को पुनर्स्थापित करने के लिए इस विभाग को कई संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं।

2. इस मामले की जांच, वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस विभाग द्वारा की गई तथा अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यात्रा पात्रता को पुनर्स्थापित किया जाए। नागर विमानन मंत्रालय एल.टी.सी. 80 की तर्ज पर बिजनेस क्लास में यात्रा के लिए एक योजना चला सकता है। अधिकारी तथा/या उनके परिजन एल.टी.सी. पर किसी हवाई कंपनी से यात्रा करना चुन सकते हैं यदि वह किराया बिजनेस क्लास के लिए नई एल.टी.सी. योजना के अंतर्गत एन.ए.सी.आई.एल (एयर इण्डिया) द्वारा पेशकश किए गए किराये से अधिक न हो।

ह0/-

(सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग